कार्यालय– न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छ.ग)

।। आदेश ।।

क्रमांक– **06**/दो–06–01/2023 दंतेवाड़ा, दिनांक– 15/07/2024

परिवार न्यायालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) स्थापना द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 01/चयन समिति/2023 दिनांक 11.07.2023 के परिपेक्ष्य में चयन समिति की अनुशंसा के अनुरुप नीचे उल्लेखित अभ्यर्थियों को **'भृत्य/फर्राश'** के पद पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–1 (15600–49400) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से **तीन वर्ष** की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रुप से निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

क.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	निवास का पता	चयनित संवर्ग
1.	जितेन्द्र कुमार	श्री गोंडूराम	ग्राम– बालूद, केंवरामुण्डा पारा, तहसील– दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)	अ.पि.व.
2.	शंकर भवानी	स्व. श्री सोमेश भवानी	ग्राम– कंवलनार, ईदवाड़ा पारा, थाना– फरसपाल, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)	अ.ज.जा.
3.	रवि कुमार	श्री एन्थोनी	ग्राम– नगर पंचायत बारसूर, वार्ड क्र.– 09, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) पिन कोड– 494441	अ.ज.जा.

//नियुक्ति की शर्तें//

1. यह नियुक्ति पूर्णतः प्राविधिक (Provisional) है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।
2. चयनित अभ्यर्थी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखेगा।
3. चयनित अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण करते समय समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र कार्यालय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से शाम 05.30 बजे के मध्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. अन्यत्र सेवारत अभ्यर्थियों को अपने विभाग/संस्था/कार्यालय का मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र पदभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
5. चयनित अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण करने के 15 दिवस के भीतर मान्यता प्राप्त चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा हेतु योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अयोग्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
6. चयनित अभ्यर्थियों को उसके विरुद्ध यदि कोई दाण्डिक प्रकरण दर्ज हो या उसे किसी दाण्डिक मामले में दोषसिद्ध किया गया हो, तो इस संबंध में आवश्यक जानकारी के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराये जाने एवं पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने पर सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

8. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् किसी राजनीतिक दल एवं उसके किया–कलाप से संबंध नहीं रखेगा तथा किसी असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं रहेगा।

9. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात् न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) की अनुमति के बिना अन्य किसी पद के लिए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेगा तथा अध्ययन जारी नहीं रख सकेगा।

10. नियुक्त अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

11. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा उभयपक्ष द्वारा एक माह का वेतन अथवा एक माह पूर्व नोटिस देकर सेवा कभी भी समाप्त की जा सकेगी।

12. चयनित अभ्यर्थियों को अनिवार्यतः दिनांक **30/07/2024** तक पदभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उसका यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

15.7.24

(संतोष कुमार तिवारी)
न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

प्रतिलिपि – 285(1-7)

पृष्ठांकन क्रमांक– /दो–06–01/2023 दंतेवाड़ा, दिनांक– 15/07/2024

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) को ज्ञापन क्रमांक **6049**/तीन–18–27/2023/डी.ई. दिनांक 12.05.2023 एवं **4701**/तीन–18–27/2023/डी.ई. दिनांक 15.03.2024 के परिपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।
3. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
5. **जितेन्द्र कुमार पिता श्री गोंडूराम,** ग्राम– बालूद, केंवरामुण्डा पारा, तहसील– दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. **शंकर भवानी पिता स्व. श्री सोमेश भवानी,** ग्राम– कंवलनार, ईदवाड़ा पारा, थाना– फरसपाल, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
7. **रवि कुमार पिता श्री एन्थोनी,** ग्राम– नगर पंचायत बारसूर, वार्ड क्र.– 09, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) पिन कोड– 494441 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

15.7.24

(संतोष कुमार तिवारी)
न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

O/C

Judge
Family Court Dantewada
District South Bastar Dantewada (C.G.)